

मध्य प्रदेश शासन  
अध्यात्म विभाग  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन-462004

एफ क्र. 9-4/2019/68

भोपाल, दिनांक 23 मार्च, 2019

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
राज्य आनंद संस्थान,  
माध्यमिक शिक्षा मंडल परिषद,  
भोपाल (म.प्र.)।

विषय:- अध्यात्म विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्र क्र.4121/आ.संस्थान/एफ-8/2019, दिनांक 11/02/2019

—0—

उपर्युक्त विषयांकित सन्दर्भित पत्र के अनुक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संशोधित परिपत्र दिनांक 07 मार्च, 2019 की छाया प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार,

9/6  
225/187  
2/253

(किरण मिश्रा)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन  
अध्यात्म विभाग

20-3-19

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 529/2019/88  
मध्य प्रदेश शासन  
अध्यात्म विभाग  
मंत्रालय, म. प्र. भोपाल  
दि. 20/03/2019

(13)

क्रमांक एफ 11-25/2018/1/9

प्रति,

भोपाल, दिनांक 7 मार्च, 2019

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
मध्य प्रदेश शासन,  
शासन के समस्त विभाग,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त संभागायुक्त,  
समस्त कलेक्टर,  
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,  
मध्य प्रदेश।

विषय:- राज्य आनंद संस्थान(अध्यात्म विभाग) द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में संशोधन बावत।

सन्दर्भ:- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 11-72/2016/1/9, दिनांक 14 दिसम्बर, 2016

सन्दर्भित परिपत्र द्वारा राज्य आनंद संस्थान(अध्यात्म विभाग) की गतिविधियों के संचालन के लिए शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को भाग लेने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि अधिकतम दो दिवस निर्धारित की गई थी तथा इस अवधि को कार्य अवधि मानकर उन्हें टीए/डीए की पात्रता, यात्रा भत्ता नियमों के तहत होने के निर्देश जारी किए गए थे।

2/ वर्तमान में संचालित गतिविधियों के अन्तर्गत आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं की अवधि 02 दिवस से अधिक होती है। अतः संदर्भित आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

"प्रशिक्षण कार्यक्रमों की वास्तविक अवधि एवं यात्रा अवधि को कार्य अवधि मानकर, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल होने वाले शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को इस अवधि में टीए/डीए की पात्रता, यात्रा भत्ता नियमों के तहत होगी।"

(सी.बी.पड़वार)

उप सचिव


मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्य मंत्री कार्यालय, म.प्र.।
3. प्रमुख सचिव(समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
5. मान. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.।
6. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
7. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर।
8. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
9. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल।
10. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
11. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।
12. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
13. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल।
14. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन, भोपाल।
15. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल।
16. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश इन्दौर।
17. सचिव, म.प्र. राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
18. सचिव, म.प्र. मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
19. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर।
20. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल।
21. अवर सचिव(स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख) मध्य प्रदेश शासन, सा.प्र.विभाग भोपाल।
22. अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग(7-1) की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
23. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।
24. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
25. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय भोपाल।
26. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
27. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रोषित।



उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग